THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Reports regarding violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 have been received from time to time from various sources including Regional Offices of the Ministry, non-Government organisations, individuals etc. Reports mostly pertain to use of forest land for non-forest purposes without prior approval of the Central Government or non-fulfilment of the conditions stipulated by the Ministry in the approvals issued under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(c) The concerned State Governments have been asked to ensure that violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 do not take place. Further, cases involving violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 are decided in accordance with the guidelines issued for implementation of the Act.

Evaluation of Tenders for Basic Telecom Services in Rajasthan and Karnataka

568. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the details of evaluation of tender bids for Rajasthan and Karnataka by the TEC;

(b) the nature of the representations by the HI bidders in their circles;

(c) the exact figures of the levy offered by these bidders year by year and what was the corresponding minimum fixed by TEC; and

(d) the revised criterion adopted by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) The details of evaluation of tender bid for Rajasthan and Karnataka by the TEC are given in Annexure [*See Appendix 176, Annexure No. 30*]

(b) The bidders have represented that NPV of their quoted levy is higher than the NPV of the expected reasonable Levy calculated by the TEC.

(c) As given in Annexure [*See Appendix 176, Annexure No. 31*]

(d) No criterion has been revised by the Government.

"टाडा" के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की रिहाई के लिए पुनरीक्षा समितियां

569. श्री अजीत जोगी:
श्री एस.एस. सुरजेवाला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरुप "टाडा" के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की रिहाई के लिए पुनरीक्षा समितियों का गठन किया गया है;

(ख) इन समीक्षा समितियों की सिफारिश पर 31 दिसम्बर, 1995 तक राज्यवार "टाडा" के अंतर्गत निरुद्ध किए गए कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन पुनरीक्षा समितियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर ऐसे कैदियों को रिहा करने हेतु राज्य सरकारों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी): (क) और (ख) टाडा के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जिन राज्यों में समीक्षा समितियां गठित की गई हैं उनके नाम तथा इन समीक्षा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 31.12.95 तक रिहा किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने समीक्षा समितियों का गठन किया है। इन समीक्षा समितियों की बैठकें आवधिक रूप में की जा रही हैं तथा मामलों की नियमित रूप में पुनरीक्षा की जा रही है। इस कार्रवाई को शीघ्रतापूर्वक प्राथमिकता के आधार पर करने की आवश्यकता पर भारत सरकार बार-बार जोर दे रही है।